Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 173-2023/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023 (ASVINA 8, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2023

संख्या 53/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1) और धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(i) अनुसूची IV– में,

(क) क्रम संख्या 227 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् –

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई भी अध्याय	विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे; व्याख्याः हरियाणा माल तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 (102क) में यथा परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्राय है, (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा ;";